

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप 21घ
(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

102—नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1951 के नियम 66 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि '—

श्री रामनारायण

पता 7, मुख्य गांव कुराड़ी (राजपुरा) तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में,
श्री सांवरलाल के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- अजमेर

दिनांक :- 16-09-2014



हस्ताक्षर
(जय प्रकाश नारायण)
रिटर्निंग ऑफिसर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21D
(See rule 64)

(For use in Election to fill a causal vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from 102-NASIRABAD Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act 1951, read with rule 66 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Shri Ramnarayan

Address -- 7, Main Village Kuradi (Rajpura) Tehsil – Nasirabad, District – Ajmer,
Rajasthan Sponsored by – Indian National Congress has been duly elected to fill
the vacancy caused in that House by the resignation of **Shri Sanwar Lal** .

Place :- AJMER

Dated :- 16-09-2014


(Jai Prakash Narayan)
Returning Officer
102 - Nasirabad